सं0सं0–7 / बजट–46–57 / 2025–26– 293 (7A)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण,भा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा– वित्त विभाग

पटना, दिनांक– 07 / 08 / 2026

विषयः– पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को, Turnkey आधार पर, तीन चरणों में, 250 एम0बी0बी0एस0 नामांकन क्षमता एवं 5462 शैय्या वाले चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के रूप में पुनर्विकसित करने हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर कुल रु0 5540,07,00,000/– (रुपये पाँच हजार पाँच सौ चालीस करोड़ सात लाख) मात्र की लागत पर स्वीकृत स्कीम (योजना) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में भारत सरकार द्वारा "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2026–27 Under Part-III" अंतर्गत स्वीकृत एवं विमुक्त राशि रु0 4,22,00,00,000/–(रुपये चार अरब बाईस करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश सं0–1377(1), दिनांक–06.12.2018 द्वारा पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को, Turnkey आधार पर, तीन चरणों मे, 250 एम0बी0बी0एस0 नामांकन क्षमता एव 5462 शैय्या वाले चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के रूप में पुनर्विकसित करने हेतु बिहार चिकित्सा सेवाऍ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर कुल रु0 5540,07,00,000/– (रुपये पॉच हजार पॉच सौ चालीस करोड़ सात लाख) मात्र की लागत पर वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्कीम (योजना) स्वीकृत है।

2– Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2026–27 Under Part-III अतर्गत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्रांक– F.No.44(1)/PF-S/2026-27(CAPEX)-Bihar, दिनांक–29.07.2026 द्वारा इस योजना हेतु रू० 422.00 करोड मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान करते हुए स्वीकृत्यादेश संख्या–F.No.44(1)/PF-S/2026-27(CAPEX)-Part-III-SACE-6, दिनांक–29.07.2026, के माध्यम से राशि विमुक्त की गयी है। तद्क्रम में वित्त विभाग के पत्रांक–910/वि0, दिनांक–30.07.2026 के द्वारा SASCI 26-27 Part-III हेतु जारी दिशा–निर्देश के अनुरूप भारत सरकार द्वारा स्वीकृत एवं विमुक्त राशि रु0 422.00 करोड मात्र के व्यय की स्वीकृति दिये जाने का निर्देश दिया गया है।

3– इस योजना हेतु अब तक आवंटित राशि का विवरण निम्नरुपेण है–

क्र0स0	वित्तीय वर्ष	राशि (रु0 मे)	व्ययादेश/आवटनादेश स0 एवं दिनांक
1	2018–19	5,00,00,000/–	स0–88(1)ब0, दिनाक–08.01.2019
2	2019–20	200,00,00,000/–	स0–1360(1), दिनाक–03.10.2019
3	2020–21	69,54,00,000/–	स0–252(1), दिनाक–10.03.2021
4	2021–22	82,50,00,000/–	स0–409(1), दिनांक–16.06.2021
5	2021–22	58,45,00,000/–	स0–389(7), दिनाक–11.03.2022
6	2022–23	50,00,00,000/–	सं0–89(7), दिनांक–30.06.2022
7	2022–23	4,30,57,00,000/–	सं0–290(7), दिनाक–24.11.2022
8	2023–24	61,00,00,000/–	स0–196(7), दिनाक–28.08.2023

9	2023–24	9,22,00,000/–	स0–390(7), दिनाक–03.01.2024
10	2023–24	29,12,70,000/–	सं0–640(7), दिनांक–14 03.2024
11	2024–25	24,00,00,000/–	सं0–82(7), दिनांक–25 06.2024
12	2024–25	2,10,00,00,000/–	सं0–154(7), दिनांक–29.08.2024
13	2024–25	2,12,77,00,000/–	स0–303(7), दिनांक–20.12.2024
14	2024–25	30,00,00,000/–	सं0–497(7), दिनांक–10.03 2025
15	2025–26	75,00,00,000/–	सं0–215(7), दिनांक–18.08 2025
16	2025–26	40,00,00,000/–	स0–351(7), दिनांक–06 10 2025
17	2025–26	30,00,00,000/–	सं0–394(7), दिनांक–05.11 2025
18	2025–26	50,00,00,000/–	सं0–422(7), दिनाक–03.12 2025
19	2025–26	65,00,00,000/–	स0–32(7A), दिनांक–28.01 2026
20	2025–26	2,75,00,00,000/–	स0–122(7A), दिनांक–20.03 2026
21	2025–26	99,00,00,000/–	सं0–160(7A), दिनांक–13.05 2026
कुल योग–		21,06,17,70,000/–	

4– उक्त परिप्रेक्ष्य में पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को, Turnkey आधार पर, तीन चरणों में, 250 एम0बी0बी0एस0 नामांकन क्षमता एवं 5462 शैय्या वाले चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के रूप में पुनर्विकसित करने हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर कुल रु0 5540,07,00,000/– (रुपये पॉच हजार पाँच सौ चालीस करोड सात लाख) मात्र की लागत पर स्वीकृत स्कीम (योजना) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में भारत सरकार द्वारा "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2026–27 Under Part-III" अंतर्गत स्वीकृत एवं विमुक्त राशि रु0 4,22,00,00.000/–(रुपये चार अरब बाईस करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

5– इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–03–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप–शीर्ष–0101–मेडिकल कॉलेजों हेतु, विपत्र कोड–20–4210037890101 अंतर्गत विषय शीर्ष 53–मुख्य निर्माण कार्य के 0101–53–01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में वर्तमान वित्तीय वर्ष में उपबंधित राशि/प्रथम अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

6– कार्यकारी एजेन्सी, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना द्वारा योजना का क्रियान्वयन/राशि का व्यय, स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश सं0–1377(1), दिनांक–06.12.2018 में निहित शर्तों के आधार पर कराया जायेगा।

7– यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2), दिनांक–17.04.98, 2880/वि0(2), दिनांक–06.05.06, 2938/वि0(2), एवं दिनांक–08.04.08 एवं 12888/वि०, दिनांक–03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

8– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

9– वित्त विभागीय पत्र संख्या–632/वि०, दिनांक–04.07.2023 के क्रम में निर्गत वित्त विभागीय पत्र संख्या–10792/वि०, दिनांक–06.12 2023 के क्रम में "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2026-27" के लिए पूंजीगत परियोजनाओं से संबंधित चालू योजनाओं के वित्त पोषण हेतु लोन की राशि से बकाया भुगतान के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी० एल० खाता में हस्तान्तरित करते हुए दूसरे दिन राशि को संबंधित बैंक खाते में हस्तान्तरित कर व्यय किया जाना है। अतएव अवर सचिव सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि निगम के पी0एल0 एकाउन्ट सं0–PBBPLA007 विपत्र कोड–00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID में जमा करेंगे, जिसे कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) पी० एल० खाता में हस्तान्तरित राशि को दूसरे दिन वित्त विभाग के पत्रांक–910/वि0, दिनांक–30.07. 2026 के कंडिका 05 के अनुसार राशि के व्यय हेतु AXIS Bank खाते में हस्तान्तरित कर SASCI 26-27 Part-III के दिशा–निर्देश के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए व्यय करेंगे।

10– वित्त विभागीय पत्रांक–910/वि०, दिनांक–30.07.2026 के आलोक में ससमय उपयोगिता प्रमाण–पत्र GFR 12B में विभाग के माध्यम से विहित प्रपत्र में तैयार कर वित्त विभाग को निगम के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी० एल० खाते में प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

11– प्रस्ताव एवं प्रारूप पर माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

12– प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–07/बजट–46–57/2025–26 के पृष्ठ 138/टि0 में प्राप्त है।

13– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

14– यह मात्र व्ययादेश है, आवंटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन

7.8.26.

(शम्भु शरण)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 07/बजट–46–57/2025–26 –293 (7A)/स्वा0, पटना, दिनांक– 07/08/2026

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्राचार्य/अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को यथाशीघ्र ई–मेल करने के निदेश के साथ प्रेषित।

7.8.26.

सरकार के अपर सचिव।